नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

न्यायालय परिसर में लगे हुए विभिन्न 04 पेड़ जिनमें 01 जामुन, 02 कोकाट, 01 गोल्ड मोहर, के सम्मिलित है, की नीलामी दिनांक 22.08.2017 को सायं 04:00 बजे तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 8,350/–(आठ हजार तीन सौ पचास) रूपये प्रति बोलीदाता की दर से धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 22.08.2017 को समय दोपहर 11:00 बजे तक करानी होगी। प्रथम 3 उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश महोदय मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। बोली जिस व्यक्ति के पक्ष मे छोड़ी जायेगी। उसे वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय अन्य कोई शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा क्रेता को अदा करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी। उसे बकाया धनराशि उसी दिन यानि दिनांक 22.08.2017 तक नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्ते नजारत अनुभाग में किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

Vinai Kumar Dwivedi 28/07/17
(विनय कुमार द्विवेदी)
अपर जिला जज कक्ष संख्या–8/
सदस्य नीलाम समिति/
जनपद न्यायालय, मेरठ।

28/7/17
(मानवेन्द्र सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
सदस्य नीलाम समिति/
जनपद न्यायालय, मेरठ।

28.7.17
(अरूण कुमार मिश्र)
अध्यक्ष,
नीलाम समिति/
अपर जिला जज कोर्ट सं0–1, मेरठ।